



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA  
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING

नौवहन महानिदेशालय, मुंबई  
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फाइल सं: 20-11011/6/2020-प्रशिक्षण-नौमनि

दिनांक: 13.05.2021

नौमनि प्रशिक्षण परिपत्र सं 2021 का 14

विषय: दिनांक 01.04.2020 के नौमनि परिपत्र सं 12/2020 का संशोधन-III


1. जबकि, नौवहन महानिदेशालय ने पूर्व-समुद्रीय पाठ्यक्रमों में भर्ती हेतु निम्नतम योग्यता मानदंड देते हुए दिनांक 01.04.2020 के नौमनि परिपत्र सं 12/2020 जारी किया था और "कॉमन एंट्रेंस टेस्ट(सीईटी)" और "ऑनलाइन काउन्सेलिंग" आरंभ किया था।
2. जबकि, दिनांक 21.08.2020 के प्रशिक्षण परिपत्र सं 29/2020 के परिच्छेद 3.1 के माध्यम से यह सूचित किया गया था कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से देश भर की शिक्षा प्रणाली में हुए विच्छेद के कारण जो अभूतपूर्व अनिश्चितता उत्पन्न हुआ है जिसके परिणामस्वरूप शैक्षिक वर्ष 2020-21 में भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और कॉमन काउन्सेलिंग लागू नहीं होगा और भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि शैक्षिक वर्ष 2020-21 में भर्ती हेतु सीईटी रद्द किया गया है।
3. जबकि, मौजूदा कोविड-19 वैश्विक महामारी की लहर ने फिर से देश भर में शिक्षा प्रणाली में समान व्यवधान बनाए हैं जिसके कारणवश अभूतपूर्व अनिश्चितता उत्पन्न हुई है।
4. तदनुसार, दिनांक 01.04.2020 के प्रशिक्षण परिपत्र सं 12/2020 में निम्न छूट प्रदान किए हैं:
  - 4.1. शैक्षिक वर्ष 2021-22 के भर्ती हेतु "कॉमन एंट्रेंस टेस्ट(सीईटी)" और "ऑनलाइन काउन्सेलिंग" लागू नहीं होंगे।
  - 4.2. समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थान शैक्षिक वर्ष 2021-22 के लिए उनके स्वयं की भर्ती प्रक्रिया और काउन्सेलिंग क्रियाविधि का अनुसरण कर सकते हैं यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रशिक्षण परिपत्र के अन्य आवश्यकताओं का सख्ती से अनुसरण हो रहा हो।

बीटा बिल्डिंग, 9वीं मंजिल, आई थिंक टेक्नो कैम्पस, कांजूर गाँव रोड, कांजूरमार्ग (पूर्व) मुंबई-400042

9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042

फोन/Tel No.: +91-22-2575 2040/1/2/3 फैक्स/Fax.: +91-22-2575 2029/35 ई-मेल/Email: dgship-dgs@nic.in वैबसाइट/Website: www.dgshipping.gov.in

- 4.3. चार-वर्ष के मरीन इंजीन्यरिंग स्नातक पाठ्यक्रम(बीई/बी-टेक मरीन इंजीन्यरिंग) के दूसरे वर्ष में भर्ती हेतु पार्श्व प्रविष्टि की मांग करने वाले उम्मीदवारों को शैक्षिक वर्ष 2021-2022 हेतु ऑनलाइन "कॉमन एंट्रेंस टेस्ट(सीईटी)" में योग्यता पाना अनिवार्य नहीं है।
5. दिनांक 01.04.2020 के प्रशिक्षण परिपत्र 12/2020 का संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।
6. इसे नौवहन महानिदेशक एवं अपर सचिव,भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

  
13/5/2024

(डॉ. पांडुरंग के राऊत)

उप नौवहन महानिदेशक(प्रशिक्षण)